राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 10/2017
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2017/00012
दायर दिनांक–01.05.2017
निर्णय दिनांक– 28.12.2023

1. श्रीमती नसरीन बानो पुत्री अब्दुल जमील पत्नि मोहम्मद शब्बीर जाति मुसलमान नि0 किशनगढ़
2. आकिब जावेद पुत्र अब्दुल जमील जाति मुसलमान नि0 जोधपुर जरिये अभिकर्ता श्रीमती नसरीन बानो
3. तसलीमा परवीन पुत्री अब्दुल जमील जाति मुसलमान नि0 हाल सरवाड़ तह0 सरवाड़ जिला अजमेर
4. कु0 तमन्ना खान पुत्री अब्दुल जमील जाति मुसलमान नि0 हाल जोधपुर जरिये अभिकर्ता नसरीन बानो

....प्रार्थीगण

बनाम

1. अब्दुल जमील पुत्र चांद खां जाति मुसलमान नि0 ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
3. उपपंजीयक रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. डॉ रामदेव गुर्जर अधि0 प्रार्थीगण
2 श्री शांतिलाल ढ़ेल अधि0 अप्रार्थी संख्या 1

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा सन्तान है। प्रार्थीगण के दादा चांद खॉ पुत्र पीर खॉ की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम रूपनगढ़, पटवार हल्का रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 2444 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा है जिसमें प्रार्थीगण के दादा के फोत होने के पश्चात प्रार्थीगण के पिता अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा विरासत नामान्तरकरण से प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण की माता शकीला बानो की मृत्यु होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना निकाह के शहनाज बानो को अपने घर ले आया। उसके साथ में दो लड़किया साहिबा एवं सन्ना जो अप्रार्थी संख्या 1 के साथ निवास करती है। अप्रार्थी संख्या 1 ने शहनाज बानों व उसकी 2 लड़कियों को साथ रखने के कारण प्रार्थीगण जो जायन्दा संतान है उनको घर से बाहर निकाल दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को घर से बाहर कर दिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 शहनाज बानो को अपनी पत्नि के रूप में मानता है, उसके साथ मिलीभगत करके सम्पूर्ण सम्पति को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 का अधिकार अभिलेख में उक्त आराजी में इन्द्राज होने के कारण उक्त आराजी को बैचान, हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। मुस्लिम विधि व हदिस व कुरान के अनुसार एक पिता अपनी सन्तान की परवरिश करने के लिए जिम्मेदार है एवं उसका हक अधिकार प्रदत्त करना आवश्यक होता है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को घर से बाहर निकाल दिया। प्रार्थीगण का उक्त आराजी में विधिक हिस्सा निहित है जो प्राप्त करने के लिए कानूनन् प्रथम अधिकारी है। प्रार्थीगण उक्त आराजी में प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा निहित होकर संयुक्त रूप से उक्त आराजी में प्रार्थीगण का 4/5 हिस्सा की खातेदारी घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। मुस्लिम विधि के पर्सनल विधि है जिसके तहत शरीयत के अनुसार प्रार्थीगण उक्त आराजी में हक अधिकार स्वत्व प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी में विधिक एवं हक अधिकार स्वत्व प्राप्त है एवं अप्रार्थी संख्या 1 अधिकार अभिलेख में बतौर खातेदार इन्द्राज होने से उक्त आराजी को बैचान, हस्तान्तरण खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण को उक्त अराजी से बेदखल किया जा रहा है। इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु माननीय न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 15:43:08 IST
Reason: SelfAttested

28/12/23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र तर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर प्रकरण में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब कथन अनुसार प्रार्थीगण की माता शकीला बानो की मृत्यु दिनांक 23.08.2015 को हो गयी थी। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी पत्नि शकीला बानो के निधन के पश्चात विधिसम्मत ढंग से शहनाज बानो से निकाह किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 को शहनाज बानो से कोई संतान नहीं हुई बल्कि शहनाज बानो के पूर्व पति बरकत अली से शहनाज बानो के 2 लड़कियां है। शहनाज बानो के पूर्व पति की मृत्यु हो चुकी है तथा दोनों लड़कियां शहनाज बानो के पिता व माता के साथ निवास कर रही है तथा वही अध्ययनरत है। अप्रार्थी संख्या 1 ने कभी भी प्रार्थीगण को घर से बाहर नही निकाला है। अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई है तथा मुस्लिम विधि के अनुसार प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 1 के जीवित रहते उक्त वादग्रस्त आराजी में कोई हक व अधिकार निहित नहीं है। प्रार्थीगण उक्त आराजी में हिस्सा प्राप्ति के कानूनन अधिकारी नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी पत्नि के मृत्यु से पूर्व ही प्रार्थी संख्या 1,2 व 3 का निकाह कर दिया था वे अपने पतियों के साथ निवास कर रही है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के अधिकार व स्वत्व है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 2 (पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़) ने प्रकरण में किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 की जाइंदा संतान है। प्रार्थीगण के दादा की पैतृक संपति से अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 अलग से दुबारा निकाह कर उक्त आराजी को बैचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है। प्रार्थीगण का विरासत से प्राप्त भूमि पर विधि अनुसार हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को बैचान, हस्तान्तरण आदि नहीं कर सके इसलिए प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावें। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के जीवित रहते प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं बनता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र भारी हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य मानने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उपरोक्त तथ्य के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2017(2) हसन बनाम रूकसाना पृष्ठ संख्या 804–806 तक इस प्रार्थना–पत्र पर चस्पा नहीं होते है। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 15:43:08 IST
Reason: SelfAttested

28/12/23

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर ए एस)
रूपनगढ़ (अजमेर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)